रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26052026-272881
CG-DL-E-26052026-272881

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 368] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 26, 2026/ज्येष्ठ 5, 1948
No. 368] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 26, 2026/JYAISTHA 5, 1948

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2026

सा.का.नि. 409(अ).— केन्द्रीय सरकार, सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 (2011 का 11) की धारा 24 की उपधारा (2) के खंड (घ) और खंड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सिक्का निर्माण (ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्वर्ण जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी करना) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **सिक्के का मूल्यवर्ग.**— ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के स्वर्ण जयंती के अवसर को स्मरणीय बनाने के लिए केंद्रीय सरकार के प्राधिकार के अधीन पचास रुपये मूल्य वर्ग का सिक्का जारी करने के लिए इसे टकसाल में ढाला जाएगा।

3. **सिक्के की विमाएं और संरचना.**— नियम 2 में उल्लिखित मूल्य वर्ग के सिक्का, निम्नलिखित विमाओं और संरचना के अनुरूप होगा, अर्थात्:-

सिक्के का मूल्यवर्ग	आकृति और बाह्य व्यास	दांतेदार किनारे की संख्या	धातु संरचना
(1)	(2)	(3)	(4)
पचास रुपये	वृत्ताकार 44 मिलीमीटर	200	**चतुर्थक मिश्र धातु** चांदी - 50 प्रतिशत तांबा - 40 प्रतिशत निकिल - 05 प्रतिशत जस्ता - 05 प्रतिशत

4. **डिज़ाइन.**— सिक्के का डिज़ाइन वह होगा जो इन नियमों के साथ उपाबद्ध पहली अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट है।

5. **मानक वजन और अनुज्ञात उपचार.**— ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के स्वर्ण जयंती के अवसर को स्मरणीय बनाने के लिए नियम 2 में निर्दिष्ट मूल्य वर्ग के सिक्के का मानक वजन और ऐसे सिक्के को बनाने में अनुज्ञात उपचार वह होगा जो इन नियमों के साथ उपाबद्ध दूसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट है।

पहली अनुसूची

[नियम 4 देखें]

पचास रुपये

अग्र भाग:

सिक्के के इस भाग पर मध्य में अशोक स्तम्भ का सिंह स्तम्भ शीर्ष होगा, जिसके नीचे "**सत्यमेव जयते**" लेख उत्कीर्णित होगा, उसकी बाईं परिधि पर देवनागरी लिपि में "**भारत**" शब्द और दाईं परिधि पर अंग्रेजी में "**INDIA**" शब्द होगा। सिंह स्तम्भ शीर्ष के नीचे रुपये का प्रतीक "**₹**" और अंतर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य "**50**" भी होगा ।

पृष्ट भाग:

सिक्के के इस भाग में सिक्के के मध्य में एक ड्रेजर जलयान का चित्र होगा । सिक्के की ऊपरी परिधि पर देवनागरी लिपि में उत्कीर्ण लेख "**ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.**" लिखा होगा और इसके नीचे देवनागरी लिपि में **"स्वर्ण जयंती"** और अंग्रेजी में **"GOLDEN JUBILEE"** लिखा होगा। सिक्के की निचली परिधि पर अंग्रेजी में उत्कीर्ण लेख **"DREDGING CORPORATION OF INDIA LTD."** लिखा होगा। ड्रेजर जलयान के चित्र के नीचे अंतर्राष्ट्रीय अंको में वर्ष **"1976 - 2026**" उत्कीर्ण होगा। ड्रेजर जलयान के चित्र के दोनों ओर, लंगर का एक चित्र होगा।

दूसरी अनुसूची

[नियम 5 देखें]

सिक्के का मूल्यवर्ग	मानक वजन	अनुज्ञात उपचार	
		संयोजन में	मानक वजन में
(1)	(2)	(3)	(4)
पचास रुपये	35 ग्राम	चांदी के लिए 1/500वां हिस्सा की वृद्धि या कमी अर्थात् चांदी का अंश प्रति 1000 में 498 से 502 के बीच हो सकेगा।	1/100वें हिस्से की वृद्धि या कमी अर्थात् वजन 34.65 ग्राम से 35.35 ग्राम तक हो सकेगा ।

[फा. सं. 02/21/2026 - सिक्का]

अमित सिंगला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 2026

G.S.R. 409(E).— In exercise of the powers conferred by clauses (d) and (e) of sub-section (2) of section 24 of the Coinage Act, 2011(11 of 2011), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Coinage (Issue of Commemorative Coin on the occasion of Golden Jubilee of Dredging Corporation of India Limited) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Denomination of coin.**— The coin of Fifty Rupees denomination shall be coined at the Mint for issue under the authority of the Central Government to commemorate the occasion of Golden Jubilee of Dredging Corporation of India Limited**.**

3. **Dimension and composition of coin.**— The denomination of the coin specified in rule 2 shall conform to the following dimensions and composition, namely: -

Denomination of the coin	Shape and outside diameter	Number of serrations	Metal composition
(1)	(2)	(3)	(4)
Fifty Rupees	Circular 44 millimeters	200	**Quaternary Alloy** Silver - 50 per cent. Copper - 40 per cent. Nickel - 05 per cent. Zinc - 05 per cent.

4. **Design.**— The design of the coin shall be as specified in the First Schedule annexed to these rules.

5. **Standard weight and remedy allowed.**— The standard weight of the coin of denomination referred to in rule 2 to commemorate the occasion of Golden Jubilee of Dredging Corporation of India Limited and the remedy allowed in making of such coin shall be as specified in the Second Schedule annexed to these rules.

FIRST SCHEDULE

[*See* rule 4]

FIFTY RUPEES

OBVERSE:

This face of the coin shall bear the Lion Capitol of Ashoka Pillar in the centre with the legend **"सत्यमेव जयते"** inscribed below, flanked on the left periphery with the word **"भारत"** in Devanagari script and on the right periphery with the word "**INDIA**" in English. It shall also bear the rupee symbol "**₹**" and denominational value "**50**" in the international numerals below the Lion Capitol.

REVERSE:

This face of the coin shall bear the image of a dredger vessel in the centre of the coin. The inscription **"ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि."** in Devanagari script shall be inscribed on the upper periphery of the coin and below it, **"स्वर्ण जयंती"** in Devanagari script and **"GOLDEN JUBILEE"** in English shall be inscribed. The inscription "**DREDGING CORPORATION OF INDIA LTD.**" in English shall be inscribed on the lower periphery of the coin. The year "**1976 - 2026**" in international numerals shall be inscribed below the image of dredger vessel. On both sides of the image of dredger vessel, there shall be an image of anchor.

SECOND SCHEDULE

[*See* rule 5]

Denomination of the coin	Standard weight	Remedy allowed	
		In composition	In standard weight
(1)	(2)	(3)	(4)
Fifty Rupees	35 Grams	1/500th plus or minus for Silver, that is to say the Silver content may vary from 498 to 502 per 1000.	1/100th plus or minus, that is to say, the weight may vary from 34.65 grams to 35.35 grams.

[F. No. 02/21/2026-Coin]

AMIT SINGLA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.05.26 22:57:32 +05'30'